तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी मूल वाद संख्या 23/2023 शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08.10.2025

वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक की ओर से दिनांक 18.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया गया कि वादी ने प्रतिवादीगण को वाद वर्णित भूमि विक्रय करने के समय एवं विक्रय पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में किसी अन्य का कोई हित एवं अधिकार नहीं है एवं अन्य कुटुम्बीजन व रिश्तेदार का विवाद पाया जाता है तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी वादी की रहेगी परंतु वादी किशनसिंह द्वारा अन्य भाईयों व वादी को पक्षकार बनाते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध जिला न्यायाधीश सिरोही में एक वाद एवं प्रा. पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 27/1 ई.दी. एवं 14/21 मु.दी. जो वर्तमान के अति जिला न्यायाधीश में विचाराधीन होकर लंबित है। उक्त प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण साक्ष्य के प्रक्रम पर है एवं वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है उक्त प्रकरण से संबंधित प्रमाणित प्रतियां इस प्रकरण के सही सम्यक एवं निस्तारण हेतु अभिलेख पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित प्रमाणित प्रतियों को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी के अधिवक्ता ने कथन किया हैं कि पद में अंकित कथन कि "वादी ने प्रतिवादीगण को वाद वर्णित भूमि विक्रय करने के समय एवं विक्रय पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में किसी अन्य का कोई हित एवं अधिकार नहीं है एवं अन्य कुटुम्बजन या रिश्तेदार का विवाद पाया जाता है तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी वादी की रहेगी।", गलत है और अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि क्रय करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी से सिरोही आकर श्री योगेश सोनी के जरिए सम्पर्क किया था। प्रतिवादीगण से वादी की पूर्व की कोई जान पहचान नहीं थी। श्री योगेश सोनी व अन्य खातेदारों के साथ वादी का उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में विवाद श्री राजस्व मंडल अजमेर में लंबित होना प्रतिवादी संख्या 2 की जानकारी में है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तब भी प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से उक्त भूमि क्रय करने की इच्छा जताने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को वादी के भाई लाल सिंह द्वारा विभाजन का वाद जिला न्यायालय सिरोही में प्रस्तुत किया जाना व लंबित होना स्पष्ट सूचित किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन की प्रति, वादी की माता द्वारा निष्पादित वसीयत की प्रति, वादी की माता द्वारा खरीद की गई उक्त कृषि भूमि के विक्रय विलेख की प्रति तथा जमाबंदी की प्रति वादी से प्राप्त कर अपने उदयपुर स्थित अधिवक्ता से उक्त भूमि में वसीयत के आधार पर वादी के अधिकारों के बारे में राय लेकर संपर्क करना जाहिर किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 19.03.2021 को सिरोही आकर वादी से पुनः सम्पर्क किया तथा उक्त

10/25

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी मूल वाद संख्या 05/2022 वरदाराम बनाम मुकेश कुमार
	कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के लिए खरीद करने हेतु प्रस्ताव दिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त कृषि भूमि में वादी के खातेदारी के 1/3 हिस्से में से आधे हिस्से को रूपए 1,20,00,000/- रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकृत प्रतिनिधि व हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से खरीद करना स्वीकार किया। उक्त दिनांक को वादी के भाई लालसिंह द्वारा सम्पति के विभाजन हेतु पेश वाद लम्बित होने व यथास्थिति बनाए रखने हेतु जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने से विक्रय विलेख का निष्पादन संभव नहीं था। अतः प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि खरीद करने हेतु उसी रोज विक्रय इकरार संविदा साक्षियों के समक्ष दिनांक 19.03.2021 को तेहरीर करवा कर वादी से तकमील करवाया। भूमि क्रय किए जाने के पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी के वादग्रस्त भूमि में अधिकारों व स्वत्व की संतुष्टि की थी और उसके बाद ही भूमि खरीद की है। लालसिंह द्वारा वाद प्रत्याहृत करने के बाद प्रतिवादीगण ने ही आनन-फानन में वादी से बदनियतिपूर्वक विक्रय विलेख निष्पादन करवा दिया और विक्रय प्रतिफल पेटे आगामी 7 माहों तक की अवधि के चेक प्रदान कर दिए जिनका भुगतान नहीं हो सका। विक्रय विलेख स्वंय प्रतिवादी संख्या 2 ने ही उदयपुर में वादी से तथ्य छिपाते हुए तेहरीर करवाया है। विक्रय विलेख में अंकित तथ्यों को पढ़ने तक का अवसर प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को नहीं दिया था। विक्रय विलेख के रोज वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना प्रतिवादीगण की पूर्ण जानकारी में है। वाद संख्या 21/2021 को वादी लड़ रहा है। प्रतिवादीगण ने विक्रय विलेख में बदनियतिपूर्वक सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त हो जाना तथा कोई राशि बकाया लेना शेष ना होना अंकित किया है। यदि विक्रय विलेख वादी द्वारा तहरीर करवाया जाता तो वादी विक्रय विलेख में विक्रय विलेख विक्रय किमत पेटे प्रदत चेक राशि प्राप्त ना होने पर विक्रय विलेख स्वतः ही निरस्तनीय होना अंकित करवाता। प्रतिवादी भूमि की कीमत अदा किए बिना ही उसे भोग रहा है। वाद की प्रतिवादी को आरंभ से जानकारी है और यह स्वंय भी उसमें पक्षकार है। प्रतिवादी ने कथित फोटो प्रतियां जबाबदावा के साथ अथवा विवादजन्य विरचना के पूर्व पेश नहीं कर सकने का कोई कारण ही स्पष्ट नहीं हैं। प्रकरण साक्ष्य के प्रक्रम पर है। वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाना अस्वीकार है। वाद में विरचित विवाद्यक्य का भार प्रतिवादी पर है अतः साक्ष्य पहले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की जानी है और उसके खण्डन का भार वादी पर है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतियां इस प्रकरण के सही सम्यक एवं निस्तारण हेतु अभिलेख पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक होना गलत है और अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने सोच समझ कर ही कथित दस्तावेज जवाबदावा के साथ प्रस्तुत नहीं किए हैं और ना उन पर अपने बचाव में आधार ही रखा है। कथित दस्तावेज प्रतिवादी के अधिकार में थे। प्रतिवादी यदि उन्हें आवश्यक समझता तो पहले भी प्रस्तुत कर सकता था।

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज०)

दस्तावेजात् अभिलेख पर लिया जाने हेतु कोई यथोचित व न्यायोचित कारण नहीं है। प्रतिवादी ने कथित दस्तावेजात अब तक प्रस्तुत न करने का कोई कारण नहीं दर्शाया है। प्रतिवादी ने कथित दस्तावेजों की सुसंगतता के बारे में भी कोई काम नहीं किया है। प्रतिवादी ने कथित दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु कोई सम्यक तत्परता नहीं दर्शाई है। प्रतिवादीगण को बचाव में रखी कमी पूर्ति करने का विधि में कोई अधिकार नहीं है और ना विधि की ऐसी मंशा ही है। दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाने की स्थिति में वादी का बचाव गंभीर रूप से प्रभावित होगा और वादी के साथ अन्याय होगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को विवादक कायम होने के पश्चात् अभिलेख पर लेने हेतु प्रतिपादित नजीरों 2013 DNJ (SC) 314, 2017 (2) WLC 703 2016 (2) WLC (Raj-) UC 496, AIR 2019 Raj- 170 तथा AIR 2022 (NOC) 638 M.P. के परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण का आवेदन खारिजगी काबिल हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की हैं।

वादी द्वारा तथाकथित जो वाद वसूली रूपये 1,65,37,325/– का प्रस्तुत किया हैं वह वादी की कृषि भूमि के विक्रय पेटे प्रतिवादी द्वारा अदा किये गये भूमि के सम्बन्ध में हैं उसी विक्रयशुदा भूमि के सम्बन्ध में एक सिविल वाद वादी के भाई किशनसिंह द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं वादी के प्रार्थनापत्र में वर्णित दस्तावेज उसी वाद के सम्बन्ध में हैं जो इस प्रकरण से सम्बन्ध रखते हैं। पक्षकारों की साक्ष्य अभी प्रारम्भ नहीं हुई हैं और वादी को उक्त दस्तावेजों पर जिरह का अवसर प्राप्त होगा अतः प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए 1000/–रूपये कॉस्ट पर अभिलेख पर लिया जाता हैं और वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता हैं। प्रतिवादी वादी के अधिवक्ता को 1000/– रूपये कॉस्ट अदा करेगा।

वादी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादी ने प्रतिवादी द्वारा दिये गये चैकों के अनादृत होने के कारण उनकी वसूली के लिए यह वाद पेश किया हैं और प्रतिवादी ने 1,45,20,750/– रूपये बकाया होना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं। अतः स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि वादी को उक्त विवादित भूमि का टाईटल वसीयत द्वारा प्राप्त हुआ हैं और उक्त वसीयत को वादी के भाई किशनसिंह ने वाद के जरिये विवादित किया हैं जो वाद अभी भी विचाराधीन हैं और वादी ने उक्त विवादित भूमि के टाईटल के अंतिम निस्तारण तक भूमि के भुगतान को कंडीशनल वसीयत का प्रोबेट घोषित होने तक रोका गया हैं। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी मूल वाद संख्या 05/2022 वरदाराम बनाम मुकेश कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

01. 2022(3) ADR 713 Rishi Rathi VS Ms. Parminder kaur khurana
02. AIR 2022 (NOC) 773 (CAL.) E.D. Enterprises Private Ltd. VS Kaiser Begum and another
03. 2010 AIR SCW 2697 Karam Kapahi & Ors VS Lal Chand Public Charitable Trust & Anr

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

प्रतिवादी शुरू से ही यह कहकर आया हैं कि उक्त भूमि जिसके विक्रय पेटे प्रतिवादी द्वारा चैक जारी किये गये हैं उक्त भूमि को वादी के भाई ने विवादित किया हैं और उसके सम्बन्ध में न्यायालय में वाद पेश किया हैं जो विचाराधीन हैं उस वाद का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ हैं और उक्त वाद का सम्बन्ध इस प्रकरण से हैं अतः प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण वादी को मदद नहीं करते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 12 नियम 6 सि.प्र.सं. एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 14.07.2021 में वणित चैक संख्या 000017 रूपये 21,00000, चैक संख्या 000018 रूपये 19,20,750/– चैक सं. 000020 रूपये 2100000, चैक संख्या 000023 रूपये 2100000/–, चैक संख्या 000024 रूपये 2100000/– कुल राशि रूपये 1,45,20,750/– की राशि विक्रय पत्र में अंकित वसीयत दिनांक 07.10.2020 जो वादी के पक्ष में उसकी माता शकुन्तला देवी द्वारा निष्पादित की गयी हैं कि प्रोबेट घोषित होने तक न्यायालय में वादी की अमानत के रूप में जमा करना चाहती है। इस आशय का पूर्व में जवाबदावा पेश किया गया हैं। अतः प्रतिवादी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वसीयत के प्रोबेट घोषित होने तक शेष राशि न्यायालय में वादी की अमानत के तौर पर जमा कराये जाने बाबत आदेश प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी मूल वाद संख्या 23/2023 शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी में विक्रय प्रतिफल पेटे रूपये 1,45,20,750/– तथा उक्त उक्त बकाया राशि पर दिनांक प्रस्तुति वाद तक ब्याज सहित कुल रूपए 1,65,37,325/– बकाया थे। प्रतिवादी अनादरित हुए चेक की उक्त बकाया राशि वसीयत का प्रोबेट घोषित होने तक सशर्त जमा करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी ने विक्रय विलेख में संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि रूपए 2,39,00,000/– प्राप्त हो जाने की वादी से रसीद प्राप्त की हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने कृषि भूमि खरीद करने के पूर्व वसीयत व अन्य स्वामित्व सम्बन्धी प्रलेख वादी से प्राप्त किए थे। प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर वादी से भूमि खरीद करने का संविदा किया था। प्रतिवादी ही उदयपुर से विक्रय विलेख टंकण करवा कर लेकर आया था। प्रतिवादी ने कोई शर्त वक्त संविदा तथा उक्त पजीयन दस्तावेज वसीयत के प्रोबेट के सम्बन्ध में नहीं रखी थी। अन्यथा भी पूर्ण प्रतिफल अदायगी की रसीद प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी किसी प्रकार की शर्त बकया प्रतिफल अदा करने हेतु रखने का अधिकारी नहीं हैं। वादी बकया राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादी द्वारा जमा करवाई जा रही राशि प्राप्त करने को तैयार हैं। विशेष आपत्ति में यह भी बताया हैं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निष्पादित वसीयत के सम्बन्ध में विधि में प्रोबेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रतिवादी का आवेदन अन्यथा भी खारिजगी काबिल हैं।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि एवं ब्याज की वसूली हेतु 01,65,37,325/– रूपये का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में बताया हैं कि जिस भूमि के विक्रय विलेख के पेटे चैक जारी किये हैं उस भूमि के सम्बन्ध में वादी व उसके भाईयों के बीच विवाद हैं और इसके सम्बन्ध में अपर जिला न्यायालय सिरोही में वाद भी विचाराधीन हैं एवं उक्त वाद तथा हस्तगत वाद के विचारण में समय लगने की सम्भावना हैं क्योंकि उक्त दोनों वाद प्रारम्भिक स्टेज पर हैं। प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये न्यायालय में राशि जमा करवाकर उक्त राशि पर वादी द्वारा मांगे गये ब्याज की जिम्मेदारी से बचने के लिए एवं न्यायालय को माध्यम बनाने के लिए उक्त राशि न्यायालय में जमा करवाना चाहता हैं जबकि प्रतिवादी चाहता हैं तो स्वयं की ईच्छा से वादी को चैक की राशि अदा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दिनांक 15.09.2025 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.09.2025 अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सि.प्र.सं. दिनांक 10/10/25 को पेश हो।

8/10/25

जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज०)